

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील धारा 72 प्रकरण संख्या 61/2013(GCMS No. : 2013/00003)

1. सोहन लाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति कुम्हार आयु 54 वर्ष निवासी गांव लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. शान्ति देवी पत्नी श्री सोहन लाल जाति कुम्हार आयु 52 वर्ष निवासी गांव लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. कमला देवी पत्नी स्व. श्री मनफूल राम, जाति कुम्हार आयु 48 वर्ष, निवासी गांव लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

बनाम

उप-पंजीयक, श्रीगंगानगर

10.06.2024

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों को बार बार आवज़ लगाई गई, परन्तु वे स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि कोई उपस्थिति नहीं हुआ।

पत्रावली दिनांक 27.05.2014 से लगातार इन्द्रजीत सिंह का आयु प्रमाण पत्र पेश करने हेतु विचाराधीन है। 10 वर्ष से लगातार आयु प्रमाण पत्र पेश करने हेतु प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। दिनांक 28.05.2024 को पक्षकारों को बार-बार आवज़ लगाई गई, परन्तु प्रार्थीगण स्वयं अथवा अथवा उनका कोई प्रतिनिधि न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर पक्षकारों को आयु प्रमाण पत्र पेश करने हेतु अन्तिम मौका दिया गया था। आज पुनः पक्षकारों को बार-बार आवज़ लगाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिससे प्रतीत होता है कि पक्षकारान् को उक्त प्रकरण को आगे चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है इसलिए प्रकरण को इसी आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अदम पैरवी/अदम हाजरी में खारिज किया जात है। आदेश की प्रति उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर